NT>

Title: Need to review the decision to evict people from the Cantonment particulary in Sagar and Mahu in Madhya Pradesh.

डॉ.लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : महोदय, देश के विभिन्न नगरों में जहां-जहां छावनियां हैं, वहां उन क्षेत्रों के साथ बड़ी मात्रा में खाली जमीन भी है। इन स्थानों में मुख्यतः बैंगलौर, हैदराबाद, पूना, नागपुर, सागर व महू के सेना क्षेत्र हैं। खाली जमीनों पर किसी प्रकार का सुरक्षित क्षेत्र सम्बन्धी उल्लेख या बोर्ड न होने से उन स्थानों के निवासियों, कृाकों या मजदूरों आदि ने कब्जा कर लिया, कालोनियां बन गईं, जल, बिजली आदि सुविधाएं भी मिल गईं। कृाकों द्वारा खेत बना लिए गये। वर्षों से यह क्रम चल रहा है तथा वहां कोई रोक-टोक नहीं थी, किन्तु अब सागर व महू नामक स्थानों पर कब्जा हटाने के लिए बाध्य किया जा रहा है, इससे नागरिक व कृाक परेशान हैं। कृाकों ने पक्के कुएं बनवा लिए, ट्यूबवैल लगा लिए, नागरिकों की कालोनियां भी हैं। यह सब वर्षों से चला आ रहा है। आज भी सेना क्षेत्र के किसी छावनी से लगी हुई भूमि का सम्भवतः कोई उपयोग नहीं है।

अतः मेरा रक्षा मंत्री जी से मांग है कि उन्हें बेदखल करने की कार्रवाई के पूर्व पूरी तरह मामले को देखें, सम्बन्धित व्यक्तियों को अपना पक्ष रखने का मौका भी दें, जिससे हजारों लोग बिना किसी उपयुक्त कारण के वहां से न हटाये जायें।

अतः सरकार किसी निर्णय के कार्यान्वयन के पहले पूरा विचार करे।